(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉं (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 361 / 2020

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र रामप्रताप जाति नाथ योगी निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद हाल निवासी चेचट तह. रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. गीताबाई पत्नी स्व. श्री सीताराम जाति नाथ योगी निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद
3. कमलेश पुत्री स्व. श्री सीताराम जाति नाथ योगी निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद
4. ज्ञानेश्वर पुत्र स्व. श्री सीताराम जाति नाथ योगी निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद
5. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री सीताराम जाति नाथ योगी निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद
6. संजना पुत्री स्व. श्री सीताराम जाति नाथ योगी निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद
7. शिवराज पुत्र स्व. श्री सीताराम नाबालिग जरियेवली माता गीताबाई पत्नी स्व. श्री सीताराम जाति नाथ योगी निवासी सारथल तहसील छीपाबड़ौद

(अपीलांटगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारॉं

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नं0 1455 दि. 09.06.2015 ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री अरविन्द सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 1455 दिनांक 09.06.2015 ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 01.12.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतका[illegible] किया गया, जो अप्राप्त है। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की [illegible] प्रतिलिपि को हीं आधार मानकर अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:23:02 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा [illegible] बहस प्रस्तुत अपील [illegible] को दोहराते हुये कथन किया कि जमाबन्दी खाता सं0 199 में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में अपीलांट क्रमांक 1 व 2 के स्व. पति व अपीलांट क्रमांक 3 ता 7 के स्व. पिता श्री सीताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें नामान्तरकरण सं. 1455 दिनांक 09.06.2015 को खोलते समय अपीलांट क्रं. 1 राधेश्याम व अपीलांट क्रं. 2 ता 7 के स्व. पिता सीताराम के पिता का नाम देवलाल गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलांट क्र. 1 व अपीलांट क्र. 2 ता 7 के

पिता का नाम रामप्रताप योगी है तथा सभी दस्तावेजों में भी अपीलांट क्र. 1 व अपीलांट क्र. 2 ता 7 के पति/पिता सीताराम का भी स्वर्गवास दिनांक 30.06.2018 को हो चुका है। जिनके स्वर्गवास होने के बाद अपीलांट को उक्त इन्तकाल में गलत नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। ग्राम फलिया के राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज होने से इन्तकाल प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है किन्तु ग्राम सारथल के राजस्व रिकार्ड में नाम सहीं नहीं होने के कारण इन्तकाल प्रक्रिया प्रारम्भ करने से मना कर दिया है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा खोले गये इन्तकाल नं0 1455 में अपीलांट क्र. 1 के पिता व अपीलांट क्र. 2 ता 7 के पति/पिता स्व. सीताराम के पिता का नाम देवलाल के स्थान पर दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता सं. 199 पुराना 191 में रामप्रताप दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें तथा मृतक सीताराम के स्थान पर अपीलांट क्र. 2 ता 7 उत्तराधिकारी व वारिसान का नाम इन्तकाल खोलने का आदेश फरमाया जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा खोला गया इंतकाल नं0 1455 दिनांक 09.06.2015 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है कि उक्त इंतकाल में सीताराम के पिता का नाम देवनाथ होना अंकित किया है जबकि अपीलांटगण का इस न्यायालय में मुख्य कथन है कि सीताराम के पिता का नाम रामप्रताप है जिसकी विस्तृत जाँच करवाई जाकर नये सिरे से इंतकाल खोला जावें।

निर्णय आज दिनांक **10.09.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:23:02 IST
Reason: SelfAttested